[illegible]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

[illegible]

अतारांकित प्रश्न [illegible]: 3144

06 [illegible], 2019 [illegible]

पीएमएसएसवाई के अन्तगत सुपर स्पेशिएलिटी [illegible]

3144. श्र[illegible]

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने को कृपा करगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अन्तगत सुपर स्पेशिएलिटी अस्पतालों का निर्धारित समय-सीमा म निमाण करने और उनका समुचित रूप से प्रचालन करने के लिए राज्यों के सभी स्वास्थ्य/चिकित्सा शिक्षा प्रधान सचिवों को पत्र सं॰ जैड-28016/37/2018/पीएमएसएसवाई-1 दिनांक 14 जून 2018 के माध्यम से आवश्यक निदश जारी किए ह;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध म गजराराजा मेडिकल कॉलेज, ग्वालियर के सुपर स्पेशिएलिटी अस्पताल को प्रगति को स्थिति क्या है;

(ग) उक्त अस्पताल म चिकित्सा उपकरण को खरीद और उपयोग को प्रगति क्या रही है;

(घ) उक्त अस्पताल म बहिरंग और अंतरंग रोगियों के निदान और उपचार हेतु क्या सुविधा प्रदान को जा रही है;

(ङ) उक्त अस्पताल म उपलब्ध एक्स-रे, सीटी स्कैन, एमआरआई, एंडोस्कोपी, डायलिसिस इत्यादि संबंधी सुविधा का ब्यौरा क्या है;

(च) चिकित्सा शिक्षकों/अधिकारियों, अधीक्षक, निदेशक, तकनीकविदों परिचया स्टाफ इत्यादि के स्वीकृत पदों को स्थिति क्या है और इस संबंध म कितनी नियुक्ति को गई ह; और

(छ) सुपर स्पेशिएलिटी विषयों म उच्च अध्ययन को क्या प्रगति रही है?

[illegible]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य [illegible] (श्र[illegible])

(क): स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने दिनांक 14 जून, 2018 के पत्र सं. जेड-28016/37/2018/पीएमएसएसवाई-I के जरिए प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के तहत उन्नयन परियोजनाओं को पूरा करने संबंधी समय-सीमा और साथ ही उन्नयन परियोजनाओं के लिए

खरीद, स्थापना एवं चिकित्सा उपकरणों को कमिश्निंग म संबंधित कायकारी एजसी (ईए), अधिप्राप्ति सहयोग एजसी (पीएसए) को भूमिकाओं एवं दायित्वों संबंधी दिशा-निदश जारी किए।

तथापि, उक्त पत्र के माध्यम से सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक्स के परिचालन हेतु कोई निदश जारी नहों किए गए।

(ख): पीएमएसएसवाई के उन्नयन कायक्रम के चरण-III के तहत गजरा राजा चिकित्सा कॉलेज, ग्वालियर म सुपर-स्पेशियलिटी ब्लॉक (एसएसबी) का निमाण पूण हो चुका है। एसएसबी म माड्यूलर ऑपरेशन थियेटस (एमओटी), मेडिकल गैस पाईपलाईन प्रणाली (एमजीपीएस) और कद्रीय नसबंदी सेवा विभाग (सीएसएसडी) का काय भी पूण हो चुका है।

(ग): उन्नयन परियोजना के लिए 28.97 करोड़ रु. के मूल्य के 56 चिकित्सा उपकरणों को खरीद के आदेश दिए जा चुके ह जिनम से 45 मदों को प्रदानगी पहले ही हो चुको है।

(घ) और (ड.): चिकित्सा कॉलेज के उन्नयन के काय म 210 बिस्तर (30 आईसीयू बिस्तर एवं 12 डायलेसिस बिस्तर सहित) वाले सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक का निमाण शामिल है जिसम 6 ओटी सहित 6 विभाग नामत: जीआई मेडिसिन, जीआई सजरी, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, नियोनटोलॉजी एवं पेड्रियाट्रीक सजरी सम्मिलित है।

चिकित्सा कॉलेज के लिए नैदानिक उपकरणों जैसे 1000 एमए एक्स-रे, कम्प्यूटेड रेडियाग्राफो, एमआरआई 1.5 टी, कलर डॉपलर, इण्डोस्कॉपी एवं डायलेसिस मशीनों को खरीद को गई है।

(च) एवं (छ): पीएमएसएसवाई उन्नयन परियोजना के तहत सृजित सुविधाओं के संचालन हेतु आवश्यक जनशक्ति को व्यवस्था करने और अतिरिक्त पीजी सीटों के सृजन हेतु एमसीआई/एनएमसी को प्रस्ताव भेजने को जिम्मेदारी संबंधित सरकारी चिकित्सा कॉलेज/राज्य सरकार को है।

****